

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरौही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

सुथार समाज भवन जरिये अध्यक्ष पदनसिंह पुत्र किशनसिंह जी, जाति- राजपूत, निवासी-
बांकली, तहसील- सुमेरपुर, जिला- पाली

बनाम

प्रत्यर्थी

क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिरौही

राजस्व अपील संख्या: 11/2018

“अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956”

उपस्थिति:


1. अधिवक्ता श्री अश्विन कुमार मरडिया, अपीलार्थी की ओर से
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिरौही

-: निर्णय :-

दिनांक 28 मार्च, 2018

- (1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। अपीलार्थी की ओर से यह अपील सहायक वन संरक्षक, सिरौही द्वारा प्रकरण संख्या 08/2017 में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2017 से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।
- (2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रकरण में प्रत्यर्थी क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिरौही द्वारा उपस्थिति दी गई।
- (3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी के प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही प्रारम्भ करने में विधि में अवैधता बरती है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी के आवेदन पर अपीलार्थी को कृषि वर्ष 2017-18 के दौरान प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी कर भूमि का कब्जा खाली करने व फसल व कब्जा हटाने हेतु आदेश दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने कोई जांच किये बिना व अपने विवेक का उपयोग किये बिना प्रत्यर्थी के आवेदन मात्र पर अपीलार्थी को जब अतिचारी ठहराते हुए नोटिस प्रेषित कर दिया था, तो अपीलार्थी से जवाब तलब करने का कोई औचित्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना की गई कार्यवाही व उस कार्यवाही पर आधारित निर्णय विधि विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलार्थी प्रश्नगत भूमि पर अतिचारी नहीं था। प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा गत करीब 30 वर्षों से भी अधिक समय से लगातार चला आ रहा है। अपीलार्थी द्वारा पहाड़ी पर स्थित काम्बेश्वर जी महादेव मंदिर की व्यवस्था व आने जाने श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु धर्मशाला भवन वर्ष 1996 में बनवाया गया था। प्रश्नगत भूमि पर वन विभाग का कोईपेज दो पर

2
जिला कलेक्टर
सिरौही (राज.)




की एवं वादी के वाद को गलत सिद्ध करने की आवश्यकता रहती है। प्रत्यर्थी ने भी अधीनस्थ न्यायालय में अपने परिवाद को सक्षम साक्ष्य से सिद्ध नहीं करवाया है। ऐसी स्थिति में, अधीनस्थ न्यायालय को सर्वप्रथम तो प्रत्यर्थी द्वारा अपना परिवाद खारिज कर देना चाहिये था। अन्यथा भी प्रत्यर्थी के साक्ष्य में उपस्थित न होने के कारण विपरित कयास निकाला जाकर परिवाद खारिज करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि प्रत्यर्थी परिवाद प्रस्तुत करने के बाद न तो अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित आया है और न स्वयं को जिरह हेतु प्रस्तुत किया है और न ही अपने परिवाद को सक्षम साक्ष्य से उसने साबित किया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि प्रश्नगत भूमि कभी भी वन विभाग की भूमि नहीं रही है। विधि में किसी भूमि का आवंटन किये जाने हेतु उसका रिक्त होना प्राथमिक शर्त है। प्रश्नगत भूमि वन विभाग के नाम से दर्ज होने के पूर्व से ही प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा था एवं मौके पर भवन बना हुआ था, इस कारण से भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं थी। वन विभाग के नाम से प्रश्नगत भूमि राजस्व रेकॉर्ड में वर्ष 1997 में दर्ज हुई, जबकि मौके पर अपीलार्थी का कब्जा व भवन प्रश्नगत भूमि पर पूर्व से ही बना हुआ था, इस कारण से प्रश्नगत भूमि का वन विभाग के नाम से नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के काबिल ही नहीं था, क्योंकि उस समय अपीलार्थी भूमि पर काबिज था, इसलिये अपीलार्थी की अपील को स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.12.2017 को निरस्त किया जावे एवं प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी संस्था को आवंटित किये जाने के निर्देश दिये जावे। जबकि क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिरोही ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि वन मण्डल, सिरोही के वन खण्ड कानाकोलर की वन भूमि पर अपीलार्थी संस्था द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर भवन का निर्माण किया गया है, जिसके संबंध में अपीलार्थी के विरुद्ध सहायक वन संरक्षक, सिरोही के न्यायालय में अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का भलीभांति अध्ययन एवं अवलोकन कर प्रश्नगत भूमि वन विभाग की भूमि होने से अपीलार्थी को प्रश्नगत वन भूमि से बेदखल करने का विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है, इसलिये अपीलार्थी की अपील को खारित किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि वनपाल, नाका पालडी जोड ने वनखण्ड ग्राम कानाकोलर कम्पार्ट मेन्ट नम्बर- 2 खसरा संख्या 95/1 रकबा 0.0975 हेक्टेयर अर्थात् 975 वर्गमीटर भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण कर भवन निर्माण करने से अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिरोही को रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिरोही द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अपीलार्थी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु सहायक वन संरक्षक, सिरोही को प्रस्तुत की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक,

.....पेज चार पर


सिरोही (राज)



सिरोही में अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया गया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी ने प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी संस्था के स्वामित्व की होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या एफ.7(51)रेवेन्यू/सं./64 दिनांक 10.4.1964 के अनुसार उक्त भूमि वन विभाग की भूमि है एवं राजस्व रेकॉर्ड में भी उक्त खसरा संख्या 95/1 कुल रकबा 56.19 बीघा किस्म खाल खदर भूमि वन विभाग (वन खण्ड) सिरोही के नाम से दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मौका पंचनामा दिनांक 22.4.2017 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी संस्था द्वारा वन विभाग की उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में यह भी स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.1996 (गोदावरमन बनाम भारत संघ एवं अन्य) के अनुसार अपीलार्थी इस वन भूमि पर नियमन करने की पात्रता नहीं रखता है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।



(आशाराम डूडी) 28.03-18
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही